15/7 प्रार्थनापत्र पेश। अधि. अपपक्ष द्वारा। अधि. अपपक्ष द्वारा विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री पारित करने हेतु अनुरोध किया। अ.: अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। प्रार्थनापत्र केवल कुमार होकर नाबालिग है, दाखिल दफ्तर है। निर्णय आज मैं दिनांक से सुनाया गया।

विवादग्रस्त प्रस्ताव के अनुसार फाइनल डिक्री पारित की जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है
(राजेश कुमार)
वकील प्रतिवादी सं. 6

वादी/प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
सीकर (राज.)

(वादी)